

डिग्री वगुकदमें ईत्तदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 ब्या.प्रक्रियां रांहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-भीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 77/2019

1. सुखचैनसिंह पुत्र गुरजन्तसिंह जाति जटसिख निवासी बेहरवाला कंला तहसील टिब्बी  
जिला हनुमानगढ़। वादी

बनाम्

1. गुरजन्तसिंह पुत्र जगिन्द्रसिंह }  
2. मलकीतकौर पत्नी गुरजन्तसिंह } कौम जटसिख निवासीयान बेहरवाला कंला तहसील  
3. करतारसिंह पुत्र गुरजन्तसिंह } टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ भीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील वादी बनवाशीलाल गौड़ मिन जागिन मुदई श्री रूपराम कासनियां प्रतिवादीगण मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 के नाम से दर्ज चक नं० 3 बीआर डबल्यू के खाता सं० 31/32 में कुल 1.265 है०, चकनं० 650 आरडी के खाता सं० 36/26 में कुल 0.924 है० तथा इसी चक 650 आरडी के संयुक्त खाता के खाता सं० 155/132 में अंकित 5.060 है० में से 3/10 हिस्सा में से 1/10 हिस्सा आराजी के वादी व प्रतिवादीसं० 3 को ब०हि०व० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं० 3 बीआर डबल्यू के खाता सं० 31/32, चकनं० 650 आरडी के खाता सं० 36/26 व इसी चक 650 आरडी के खाता सं० 155/132 में से प्रतिवादीसं० 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किये जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किये जावे। उक्त आराजी पर बैंक नृष्टण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जावे।

निज.....निल.....मुद्लिक.....निल.....वायत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह ग्रेसदी सालाना आज की तारीख वसूलयादी तक .....  
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....३-१-१९.....को जारी  
किया गया।

( भीनू वर्मा )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी